

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-11/92)/अलेसे-11/2375 दिनांक :- 7.1.19

कार्यालय आदेश

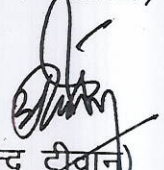
विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 3 (ख)/(एस-11/92) / अलेसे-11 / 2556 दिनांक 27.03.2017 के द्वारा श्री सैयद अतहर अब्बास काजमी, स.ले.अ.-II (लिंक नं. 5377) के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली अजमेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 53/2017 दर्ज होने तथा 48 घण्टे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में रखे जाने के कारण श्री काजमी को सीसीए नियम 1958 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 08.03.2017 से निलंबित किया जाकर इनका मुख्यालय कोषालय भीलवाड़ा किया गया था। श्री काजमी के आवेदन पर इनका मुख्यालय कोषालय, भीलवाड़ा के स्थान पर कोषालय अजमेर किया जाता है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (एस-11/92)/अलेसे-11/2375 दिनांक :- 7.1.19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित द्वाे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, अजमेर।
5. श्री सैयद अतहर अब्बास काजमी (मेरिट नं. 1192, लिंक नं. 5377), स.ले.अ. ग्रेड-II (निलंबित) कार्यालय कोषालय भीलवाड़ा।
6. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने/पी.आई.एस इन्द्राज हेतु।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द टीवानी)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)